भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1245

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः भूमिहीन किसान

†1245. श्री हरीश चन्द्र मीना

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में भूमिहीन किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) पीएम श्रम योगी मान-धन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले भूमिहीन किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) पीएम-किसान योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने भूमिहीन किसान लाभ प्राप्त कर रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भूमिहीन किसानों की कोई विशिष्ट संगणना/सर्वेक्षण नहीं किया गया है और अतः देश में भूमिहीन किसानों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, कृषि संगणना, 2015-16 के अनुसार देश में पूरी तरह से पट्टे पर दी गई प्रचालन जोतों/भूमिहीन किसानों की राज्यवार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

(ख): भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन स्कीम प्रारंभ की। यह स्कीम 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है। 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकारी वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, वे पीएम-एसवाईएम स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले भूमिहीन किसानों की संख्या उपलब्ध नहीं है, जैसा कि यह स्कीम वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई थी और पहला भुगतान वर्ष 2039 में शुरू होगा।

(ग): प्रश्न ही नहीं उठता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम है, केवल भू-धारक किसानों के लिए प्रयोज्य है।

अनुबंध

दिनांक 30.07.2024 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1245 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध		
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**पूर्णतः पट्टे पर दी गई जोतों की संख्या (पूर्ण संख्या में)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12
2	आंध्र प्रदेश	30,445
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	3,012
5	बिहार	4,090
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	377
8	दादर और नगर हवेली	2
9	दमन और दीव	0
10	दिल्ली	0
11	गोवा	4,121
12	गुजरात	0
13	हरियाणा	0
14	हिमाचल प्रदेश	200
15	जम्मू और कश्मीर	960
16	झारखंड	2,392
17	कर्नाटक	98
18	केरल	21,853
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	8,340
21	महाराष्ट्र	776
22	मणिपुर	6,627
23	मेघालय	0
24	मिजोरम	0
25	नागालैंड	317
26	ओडिशा	2,83,071
27	पुदुचेरी	223
28	पंजाब	6,576
29	राजस्थान	5,486
30	सिक्किम	1,037
31	तमिलनाडु	9,899
32	तेलंगाना	763
33	त्रिपुरा	1,575
34	उत्तर प्रदेश	21,220
35	उत्तराखंड	148
36	पश्चिम बंगाल	1,17,665
अखिल भारत		**5,31,285**

स्रोत: कृषि संगणना 2015-16, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।

नोट: पूर्णतः पट्टे पर दी गई भूमि वह होती है जो पट्टेदार के पास किसी स्थायी कब्जे के अधिकार के बिना दूसरों से पूरी तरह पट्टे पर ली गई हो।
